

FORM-1
(For linear projects)
Government of M-P
Office of the District Collector, Khargone

No. 3038/GAD/2018

Khargone, Date-1.3.18

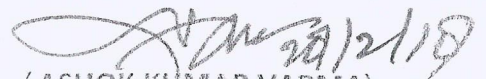
To,

✓ Dy. Chief Engineer(c)
Western Railway Indore

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9-98/FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act-2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoFE's letter dated 5th February 2013 wherein MoFE issue certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 19.922 hectare of forest land proposed to be diverted in diverted in favor of Gauge Conversion Project Mhow-Khandwa of Western Railway in Khargone district falls within jurisdiction of 6 Gram panchayat in Badwah tehsil.

Further certified that:

- (1) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 19.922 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level committee and the District level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 46.
- (2) The diversion of forest land facilities managed by Government as required under section (s) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.
- (3) The proposal does not involve recognize right of primitive tribal Group and Pre-agricultural communities.


(ASHOK KUMAR VARMA)

Collector
Dist. Khargone M.P.

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला खरगोन

:: आदेश पत्रिका ::

उपखण्ड का नाम :- बडवाह

वि०ख० का नाम :- बडवाह

ग्राम पंचायत :- बडवाडा, मुख्यारा, उमरिया, रमाणा, झिगडी, सिरलाय

प्रकरण क्रमांक / 310/ बडवाह खरगोन

दिनांक 27/02/2018

अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक दावा प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बडवाह के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त दावा प्रकरण का अवलोकन किया गया।

Gauge CONVERSION PROJECT Mhow Khandwa Western Railway Line के निर्माण हेतु वनमण्डल बडवाह के अंतर्गत परिक्षेत्र बलवाडा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 105, 106, 107, 108, 110 रकबा 19.922 हे० प्रभावित वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत संबंधित सभी ग्राम पंचायत बलवाडा, मुख्यारा, उमरिया, रमाणा, झिगडी, सिरलाय में ग्राम स्तरीय वन समिति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति बैठक का आयोजन कर लिया गया है। तथा सभी ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जिसके प्रमाण पत्र अनुसार कोई भी दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है। Gauge CONVERSION PROJECT लोक हित इस वृहत परियोजना के निर्माण हेतु उक्त ग्राम पंचायतों के प्रमाण पत्रों के अनुसार अनापत्ति जाहिर करते हुए अनुशंसा की गई है।

समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्रामसभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है। उक्त कार्य पर अपना अभिमत तथा सहमति व्यक्त की गई होने से प्रोजेक्ट हेड खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड को वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

दावा प्रकरण में नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मूल दावा ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति की अनुशंसा व उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, बडवाह की अनुशंसा के आधार पर Gauge CONVERSION PROJECT लोक हित की इस वृहत परियोजना के निर्माण करने की अनुशंसा की जाती है।

सदस्य एवं

वनमण्डलाधिकारी

जिला स्तरीय

वन अधिकार समिति बडवाह

सचिव एवं

सहायक आयुक्त

जिला स्तरीय

वन अधिकार समिति खरगोन

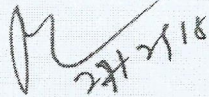
अध्यक्ष एवं कलेक्टर

जिला स्तरीय

वन अधिकार समिति खरगोन

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति खरगोन का प्रारूप

Gauge conversion Project Mhow-khandwa of western Railway Line के निर्माण में खरगोन के अंतर्गत वनमण्डल बड़वाह में 19.922 हे० प्रभावित वनभूमि के व्यवपर्तन के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र जारी हेतु वनमण्डल बड़वाह के अंतर्गत परिक्षेत्र बलवाड़ा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 105, 106, 107, 108, 110 रकबा 19.922 हे० प्रभावित वनभूमि के व्यवपर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत सभी संबंधित जनपद पंचायत बलवाड़ा, मुख्यारा, उमरिया, रमाणा, झिगडी, सिरलाय में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति की अनुशंसा व उप खण्डस्तरीय वन अधिकार समिति, बड़वाह की अनुशंसा के आधार पर Gauge conversion Project लोक हित की इस वृहद परियोजना के निर्माण करने की अनुशंसा की जाती है।



सदस्य एवं
वनमण्डलाधिकारी
जिला स्तरीय
वन अधिकार समिति बड़वाह



सहायक आयुक्त
जिला स्तरीय
वन अधिकार समिति खरगोन



अध्यक्ष एवं कलेक्टर
जिला स्तरीय
वन अधिकार समिति खरगोन

कार्यालय कलेक्टर प.नि. खरगोन (म.प्र.)
(जनजातीय कार्य विभाग शाखा)

क्रमांक/17851आदिम/वन
प्रतिनिधि —

खरगोन, दिनांक 28/02/2018

क्षीमान कलेक्टर महो को पत्र क्र. 5/13048 दिनांक 25.11.17 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ज्ञात।